BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 15 नवम्बर, 2024 **थाना- अरनिया**

12 घण्टे के अन्दर आटो चोरी का खुलासा, 02 शातिर चोर, चोरी किये गये आटो, मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2024 को वादी मुजीब पुत्र जहीर खाँ निवासी कस्बा व थानां जंवा जनपद अलीगढ ने थाना अरनिया पर सूचना दी कि दिनांक 13.11.2024 को दो लडके उसके आटो को छतारी तिराहे से ग्वारौली के लिए बुक करके ले गये थे। रास्ते में जब वह आटो खडा करके एक दुकान से समान लेने गया तो वे दोनो आटो व आटो मे रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मुअसं- 345/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त के क्रम में थाना अरनिया पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2024 को चोरी की घटना मे प्रकाश में आये 02 अभियुक्तो को अरनिया बिजली घर के पास बनी पुलिया से चोरी किये आटो, मोबाइल फोन व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर क्रमशः मुअसं- 346/24 व 347/24 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रिंकू चौहान पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम नगर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. बन्टी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम खुरियावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 आटो(थ्री व्हीलर)
2. 01 मोबाइल फोन
3. 02 अवैध चाकू

अभियुक्त रिंकू चौहान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 157/12 धारा 323,504,325 भादवि व 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 152/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 345/24 धारा 303(2),317(2)सीआरपीसी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 346/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त बन्टी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 345/24 धारा 303(2),317(2)सीआरपीसी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 347/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री पम्मी चौधरी थाना प्रभारी अरनिया
2. उ0नि0 सौरभ कुमार
3. है0का0 सुबराम नागर, का0 ललित कुमार, का0 विष्णु

मीडिया सैल बुलन्दशहर